भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4791

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उच्चस्तरीय समिति

4791. श्रीमती मौसम नूरः
डॉ॰ उदित राजः
डॉ॰ मनोज राजोरियाः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री गणेश सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत धनराशि खर्च नहीं करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) ऐसे पीएसयू/कंपनियों/संस्थाओं की संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा सीएसआर का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार को सीएसआर के अंतर्गत पीएसयू/निजी कंपनियों और संस्थाओं द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का पीएसयू/संस्था/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने व्यवसायिक कंपनियों हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) घटक में बेहतर प्रवृत्ति निर्धारित करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या उक्त समिति को विभिन्न औद्योगिक निकायों और कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या उक्त समिति का एक मध्यस्थ प्रणाली का गठन किए जाने संबंधी सिफारिश देने के लिए कदम उठाने का विचार है, जिससे कारपोरेट क्षेत्र द्वारा सीएसआर बाध्यताओं के कार्य-निष्पादन और सामाजिक प्रभाव के अंतर को प्रभावी रूप से भरने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक टर्नओवर, या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा तत्काल पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत इस अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एमसीए रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा 30.11.2017 तक की गई फाइलिंग से लिए गए डाटा के अनुसार, ऐसी कंपनियों द्वारा सीएसआर पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान सीएसआर व्यय

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17	
		कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)	कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)
1	पीएसयू	265	638.35	81	211.12
	(i) सीएसआर व्यय न करने वाले पीएसयू	121	-	15	-
	(ii) निर्धारित से कम सीएसआर राशि खर्च करने वाले पीएसयू	144	638.35	66	211.12
2	प्राइवेट क्षेत्र कंपनियां	15,222	3,198.82	3,983	1,402.68
	(i) सीएसआर व्यय न करने वाली प्राइवेट कंपनियां	9,098	-	331	-
	(ii) निर्धारित से कम सीएसआर राशि खर्च करने वाले पीएसयू	6,124	3,198.82	3,652	1,402.68
	कुल	15,487	3,837.17	4,064	1,613.80

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, 221 मामलों में सीएसआर संबंधी उल्लंघन के लिए कंपनियों और उसके चूककर्ता के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, किसी कंपनी के विरुद्ध सीएसआर निधियों का दुरुपयोग किए जाने की पुष्टि होने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की स्थापना की गई है, जिससे कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु उपाय सुझाए जा सकें और इस समिति ने 22 सितंबर, 2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट को मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित भी शामिल है :

- तीन वर्षों के पश्चात् अधिनियम के सीएसआर उपबंधों की समीक्षा करना वांछनीय होगा।
- प्रशासनिक ऊपरी लागत की सीमा सीएसआर व्यय का 5% से बढ़ाकर अधिकतम 10% कर दी जाए।
- अधिनियम और नियमों के अधीन प्रयोग किए गए पद "निवल लाभ" की परिभाषा को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।
- धारा 135(1) या संगत नियम में आवश्यक संशोधन करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 135(1) में 'किसी वित्त वर्ष' के संदर्भ में पुनः जांच।
- बोर्ड और सीएसआर समिति द्वारा अपने स्तर पर उनके सीएसआर का प्रबंधन एवं निगरानी की जाए।
- कंपनियों के सीएसआर व्यय की गुणवत्ता और क्षमता की निगरानी के लिए बाहरी विशेषज्ञ नियुक्त करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।
- सीएसआर निधियों के अव्ययित शेष को पांच वर्ष के सनसेट क्लॉज के साथ अग्रसारित करने की अनुमति दी जाए, जिसके पश्चात् अव्ययित शेष को अनुसूची-VII में सूचीबद्ध निधियों में से एक में अंतरित कर दिया जाए।
- अधिनियम की अनुसूची-VII में एक बहुप्रयोजनीय उपबंध शामिल किया जा सकता है कि सीएसआर कार्यकलाप वृहत्तर सार्वजनिक हित के लिए और किसी ऐसे कार्यकलाप, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो और/या वंचित लोगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए आम लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाएगा।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के सीएसआर कार्यान्वयन, जिसमें कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार खर्च की गई राशि, किए जाने वाले कार्यकलाप, भौगोलिक क्षेत्र भी शामिल है, संबंधी सभी सूचनाएं संकलित कर पब्लिक डोमेन में रखी जाएं।

मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कार्रवाई की है :-

(i) कंपनी विधि समिति (सीएलसी) को उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भेजी गई थी।

(ii) कुछ सिफारिशों, अर्थात्, धारा 135 के प्रयोजन के लिए और अनुसूची-VII के संदर्भ में 'किसी वित्त वर्ष' की परिभाषा, 'निवल लाभ' की परिभाषा को सीएलसी द्वारा सहमति दी गई है और कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

(iii) 12 जनवरी, 2016 को मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण परिपत्र के रूप में प्रायः पूछे गए प्रश्नों का सेट जारी किया गया और उसे पब्लिक डोमेन (www.mca.nic.in) में रखा गया।

(iv) कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय संबंधी सूचना एकत्रित और संकलित की गई है।

(v) कंपनियों द्वारा एमसीए 21 में की गई फाइलिंग को जनता की जानकारी के लिए एमसीए ने एक नेशनल सीएसआर वेब पोर्टल (www.csr.gov.in) शुरू की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सीएसआर पात्र कंपनी बोर्ड को विभिन्न विकास क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में सीएसआर निधि आबंटित करने का अधिकार है। इस संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों को न तो कोई निदेश जारी किए जाते हैं और न ही कोई सलाह दी जाती है।

(च): जी, नहीं।

*****